मनमानी : शासन के नियम के विरुद्ध बिना अनुमति खुलेआम हो रहा मुरुम का उत्खनन

मामला ग्राम पंचायत पड़रा अंतर्गत गोपालदास बांध के समीप दक्षिण क्षेत्र की पहरी में हो रहा अवैध उत्खनन, बिना अनुमति लाखों की मुरुम का किया जा चुका है उत्खनन

नवभारत न्यूज
सीधी 4 सितम्बर।शासन के नियम के विरुद्ध बिना अनुमति खुलेआम मुरुम का उत्खनन हो रहा है। मामला ग्राम पंचायत पड़रा अंतर्गत गोपालदास बांध के समीप दक्षिण क्षेत्र की पहरी में अवैध उत्खनन का है। यहां बिना अनुमति लाखों की मुरुम का उत्खनन किया जा चुका है।

शहर के गोपालदास बांध के समीप दक्षित क्षेत्र की पहरी में मुरूम का अवैध उत्खनन बेरोक-टोक चल रहा है। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार गोपालदास के समीप का यह इलाका ग्राम पंचायत पड़रा अंतर्गत है। जिनके द्वारा उक्त पहरी को निजी बताकर अवैध उत्खनन एवं परिवहन किया जा रहा है। वहीं समीप में ही पहाड़ी को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर प्लाटिंग का कार्य भी जोर-शोर से किया जा रहा है। यहां से निकलने वाली मुरूम का उपयोग प्लाटिंग के कार्य में किया जा रहा है।

उधर जानकारों के अनुसार निजी भूमि पर खनिज विभाग की बिना अनुमति के अवैध मुरूम उत्खनन एक गैर-कानूनी कार्य है और इसके खिलाफ जुर्माना और जेल की सजा शामिल हो सकती है। अवैध उत्खनन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी प्रकार का खनिज चाहे वह निजी भूमि पर ही हो, का खनन करने से पहले सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। अवैध उत्खनन की गतिविधि से पर्यावरण को भी भारी नुकसान होता है और प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन को बढ़ावा देती है। ऐसे में जिला खनिज विभाग सीधी को मुरूम के हो रहे अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर तत्परता प्रदर्शित करते हुये वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिये। इस क्षेत्र से बिना अनुमति के लाखों का मुरूम उत्खनन किया जा चुका है जिसमें शासन को भी लाखों की राजस्व चपत लग चुकी है।

अवैध खनन के और सख्त हो गये बदले हुए नियम

राज्य सरकार ने गौण खनिज नियमों में व्यापक संशोधन किया है। इसके तहत अब अवैध परिवहन किए जाने पर ज्यादा जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया है। अब गौण खनिजों का बिना लाइसेंस भंडारण करना भी अपराध है। ऐसे मामलों में कारावास और जुर्माना दोनों की कार्रवाई की जा सकती है। खनिज विभाग के उप संचालक डॉ.दिनेश मिश्रा ने बताया कि गौण खनिजों के अवैध परिवहन एवं उत्खनन पर कड़ी से कड़ी से कार्यवाही करने गौण खनिज नियम 71 में व्यापक संशोधन करते हुए इसमें खान एवं खनिज अधिनियम 1957 धारा 21 से 23(ख) के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किए जाएंगे। इन प्रावधानों में ही किसी व्यक्ति के द्वारा खनिज का परिवहन या भंडारण करना अथवा करवाना है और यदि इन उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है तो न्यायालय द्वारा 5 वर्ष का कारावास या पांच लाख रुपए जुर्माना अथवा दोनों किए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में यह केवल मुख्य खनिजों जैसे कोयला, लौह अयस्क, बाक्साइट आदि पर ही लागू था। अब इसे गौण खनिज के मामलों में भी लागू कर दिया गया है। इसके लागू होने से गौण खनिज (रेत, मुरुम, साधारण पत्थर) के अवैध परिवहन करने वालों पर अधिक जुर्माना और सजा दोनों कार्रवाई की जा सकेगी। रायल्टी क्लीयरेंस कराए जाने संबंधी प्रावधान को नियमों में शामिल करने से निर्माण कार्यों में अवैध स्रोतों से खनिज प्राप्त कर उपयोग किए जाने तथा बिना रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त किए निर्माण विभागों से अपने बिलों का भुगतान प्राप्त करने वाले ठेकेदारों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा।

यह है कार्यवाही का प्रावधान

निजी भूमि पर खनिज विभाग की अनुमति के बिना मुरुम उत्खनन अवैध है और यह खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 और मध्य प्रदेश लघु खनिज नियम 1996 का उल्लंघन है। इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए आप जिला कलेक्टर या खनिज विभाग से संपर्क कर सकते हैं जो ऐसे मामलों की जांच और कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हैं।

इनका कहना है

ग्राम पंचायत किसी भी उत्खनन की अनुमति देने के लिये अधिकृत नहीं है। वर्तमान में भी पंचायत की ओर से किसी को उत्खनन एवं परिवहन के लिये अनुमति नहीं दी गई है।
मृगेन्द्र सिंह, सचिव ग्राम पंचायत पड़रा

पड़रा में यदि पहाड़ी से अवैध उत्खनन एवं परिवहन किया जा रहा है तो इसकी जांच कराकर समुचित कार्यवाई सुनिश्चित की जावेगी।
कपिलमुनि शुक्ला, प्रभारी खनिज अधिकारी सीधी

गणेश के चार छात्र राज्य स्तरीय खेल स्पर्धा के लिए चयनित

नवभारत न्यूज
सीधी 4 सितम्बर। स्थानीय श्री गणेश सीनियर सेकेण्डरी स्कूल पड़रा के चार खिलाड़ियों का विभिन्न खेल स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। जिसमें 3 छात्र एवं 1 छात्रा शामिल हैं।

उक्त चयनितों ने संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत यह मुकाम हासिल कर अपने विद्यालय एवं जिले का नाम रोशन कियाए इससे विद्यालय परिवार गौरवान्वित है। प्रवक्ता राजकपूर चितेरा ने बताया कि राज्य स्पर्धा में हिमांशु द्विवेदी बॉक्सिंग, श्लोक तिवारी व समृद्धि सिंह कराते एवं अजीत वैश्य का वॉलीबॉल में चयन हुआ है। उक्त सभी खिलाड़ी आगामी 8 से 18 सितम्बर के मध्य होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रीवा संभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे। संस्था के संचालक नीरज शर्मा, असिस्टेंट डायरेक्टर अरुण ओझा, प्राचार्य डॉ.महेन्द्र कुमार तिवारी, एचएम माएमा सिमन्स तथा खेल प्रशिक्षकों में तरुणनाथ मिश्र, सूरज शुक्ल, सुभाष शुक्ल, माखनलाल मिश्र, विश्वास पाण्डेय, प्रियंका सिंह, अंकुर मिश्र एवं समस्त स्टॉफ ने चयनित खिलाडियों को बधाई दी है।

सीधी-कमर्जी मार्ग पर सभी मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूर्णत : प्रतिबंधित

नवभारत न्यूज
सीधी 4 सितम्बर। अपर जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश जारी कर पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं लोकहित के दृष्टिगत मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 सह पठित म.प्र. मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 06.09.2025 को समय सुबह 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक सीधी-कमर्जी मार्ग पर सभी मालवाहक वाहनों (लोडेड एवं अनलोडेड) का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

इस आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। उल्लेखनीय है कि 06.09.2025 को भगवान गणेश जी की मूर्ति विसर्जन हेतु तिथि निर्धारित है। उक्त दिनांक को प्रातः 8 बजे से रात्रि करीबन 11 बजे तक गणेश विसर्जन के लिये सीधी शहर तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों से गऊघाट सोन नदी पर श्रद्धालुओं एवं आम जनमानस की भारी भीड़ एकत्रित होगी। गऊघाट सोन नदी एकल पुलिया होने से दुर्घटना की आशंका रहेगी। उक्त के दृष्टिगत आदेश जारी किया गया है।

पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों का सांकेतिक उपवास

5 सितम्बर शिक्षक दिवस पर आयोजित है धरना प्रदर्शन

नवभारत न्यूज
सीधी 4 सितम्बर। एनएमओपीएस, पुरानी पेंशन के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्रीय संगठन की जिला इकाई सीधी द्वारा कलेक्ट्रेट के पास वीथिका भवन में शिक्षक दिवस के दिन पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू करने के लिए एनपीएस कर्मचारी-अधिकारी एक दिन का सांकेतिक उपवास और धरना प्रदर्शन करेंगे।

एनएमओपीएस जिला इकाई सीधी के जिला अध्यक्ष जयभारत सिंह चौहान ने विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु एवं प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डेहरिया के राष्ट्रीयआह्वान पर 5 सितम्बर शिक्षक दिवस को ब्लैक डे के रूप में मना कर उपवास रखा जाएगा। श्री सिंह ने पुरानी पेंशन बहाली होने तक संघर्ष जारी रहने की बात कही है। ज्ञात हो कि सरकार द्वारा 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम तथा यूनिफाइड पेंशन योजना में जोड़ा गया है जिसमें कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में रुपए 3000 से 4000 रूपये प्राप्त हो रहे हैं जिससे कर्मचारियों का जीवन अंधकारमय हो रहा हैं।

कार्यक्रम में सभी एनपीएस अधिकारियों-कर्मचारियों से सम्मिलित होने का आह्वान किया गया है। एनएमओपीएस संगठन के पदाधिकारियों सुरेश कुमार पाण्डेय, अभयराज योगी, राकेश द्विवेदी, अल्केश पाण्डेय, आरती पाण्डेय, उमा सिंह, प्रज्ञा पाठक, संजय कुमार पाण्डेय, शैलेंद्र मिश्रा, मनीष कुमार पाण्डेय, सनत कुमार सिंह, गंगासागर त्रिपाठी, ज्ञानेन्द्र सिंह, धीरज सिंह, श्रवण कुमार मिश्रा, विजय शंकर द्विवेदी, हरी विलास गुप्ता, विनोद कुमार सिंह, शोभनाथ कोल, सुधीर तिवारी, कमलेश पाण्डेय, कमलेश शुक्ल, राजकुमार मांझी, ओंकार केसरी, विजय सिंह, श्यामा सिंह, वेदराज जायसवाल, मुकेश सेन, अनुराग पाठक, सुभाष सिंह चौहान सहित अन्य सभी पदाधिकारी द्वारा कार्यक्रम सफल बनाने की अपील की गई है।

सेवा, संकल्प और समर्पण की भावना के कर्मयोग से बदलेगा जनजातीय जीवन : जेपी

नवभारत न्यूज
सीधी 4 सितम्बर। भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे आदि कर्मयोगी रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस प्रोग्राम के तीन दिवसीय खंड स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के जिला स्तरीय प्रोसेस लैब का शुभारंभ होटल त्रिवेणी के सभा कक्ष में संभागीय उपायुक्त जनजाति कार्य रीवा तथा स्टेट मास्टर ट्रेनर जेपी यादव द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के चित्र का माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित कर किया गया।

यह प्रशिक्षण जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर अतिरिक्त सीईओ धनंजय मिश्रा के नेतृत्व में दिया जा रहा है। शुभारंभ अवसर पर संभागीय उपायुक्त जेपी यादव कहा कि जनजाति व्यक्ति और गांव अभी भी मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। अंतिम छोर पर बैठे जनजाति व्यक्ति को शासन की सभी सुविधाओं का लाभ मिल सके तथा आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक, स्वास्थ्य रूप से संपन्न और आत्मनिर्भर हो सके इस हेतु कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी विभागों को मिलकर एक साथ देना होगा अभी तक के प्रयास समन्वित नहीं रहे, समन्वित और एक साथ प्रयासों से ही यह हो पाएगा। पूरे म.प्र. में इस हेतु 3 लाख शास. कर्मचारी और अधिकारियों को प्रतिबद्ध लीडर के रूप में तैयार किया जा रहा है। ये सभी विभिन्न विभागों से होंगे तथा मिलकर काम करेंगे। इस कार्य में समुदाय तथा सामाजिक संगठन को साथ लिया जा रहा हैं। जनजाति गांव की योजना ग्राम स्तर पर बनेगी, जिससे गांव के लोग अपनी क्या जरूरत है, उन्हें सम्मिलित कर सकेंगे। अगले 5 साल यानी 2030 तक के लिए जनजाति ग्रामों का विजन प्लान तैयार होगा। भारत सरकार, राज्य स्तर, जिला स्तर, विकासखंड स्तर पर रेस्पॉन्सिव ग्रुप का गठन किया जा रहा है। ब्लॉक स्तर के मास्टर ट्रेनर्स सेक्टर पर ट्रेनिंग विभिन्न विभागों के कार्यों को अभियान के मैदानी कार्य के लिए प्रशिक्षित करेंगे। ग्राम स्तर पर गतिविधियां 30 सितम्बर के पूर्व संपन्न होंगी, 2 अक्टूबर को इस हेतु विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन होगा। श्री यादव ने उपस्थित प्रतिभागियों का आह्वान किया कि सब मिलकर सेवा, संकल्प समर्पण की भावना से कार्य कर अभियान को सफल बनाकर जनजातियों की स्थिति में बदलाव लाने के लिए महती भूमिका का निर्वाह करें। अतिरिक्त सीईओ श्री मिश्रा ने कहा कि हमारे जिला मास्टर ट्रेनर्स पूर्ण समर्पण के साथ गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्लॉक लेवल मास्टर ट्रेनर रुचि के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं, हम अपने अभियान में कामयाब होंगे ऐसी उम्मीद है। धनंजय मिश्रा, राजेश पटेल, श्रीमती शिप्रा श्रीवास्तव, हेमंगद शुक्ला, मंजुला तिग्गा, अशोक चतुर्वेदी, तीरथ प्रसाद यादव जिला मास्टर ट्रेनर के रूप मे सेवाएं दे रहे हैं।

5 से 10 सितम्बर तक विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित

सीधी 4 सितम्बर। अधीक्षण अभियंता (संचा-संधा) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं. लिमि. सीधी ने जानकारी देकर बताया कि 33 केव्ही उपकेन्द्र पटपरा से निकलने वाली फीडर पहाड़ी में दिनांक 05.09.2025 से 10.09.2025 को सुबह 9 बजे से सायं 4 बजे तक 33 केव्ही लाइन का तार बदलने हेतु आरडीएसएस योजना के तहत 33 केव्ही पटपरा से जोड़ने हेतु विद्युत आपूर्ति बन्द रहेगी। उन्होंने बताया कि 5 से 10 सितम्बर तक सुबह 9 बजे से 4 बजे तक 33 केव्ही उपकेन्द्र पटपरा 33 केव्ही 30409 फीडर की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।

एक नजर में

विश्वविद्यालय स्थापना हेतु धरना प्रदर्शन 9 को

सीधी। संजय गांधी कॉलेज सीधी, जीडीसी कॉलेज सीधी एवं अन्य स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा 9 सितम्बर को सीधी जिले में विश्वविद्यालय स्थापना हेतु धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट चौराहे के पास सुबह 10 बजे से किया जाएगा। सीधी मांगे विश्वविद्यालय टीम के सदस्य इंद्रलाल ने बताया कि यह कार्यक्रम पहले 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस के अवसर पर होना था लेकिन जिला प्रशासन की अनुमति के वजह से अब 9 सितम्बर को धरना प्रदर्शन होगा। उन्होंने अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं से सम्मिलित होने की अपील की है।

रविवार को नहीं होगा उर्वरक का विक्रय

सीधी। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास राजेश सिंह चौहान द्वारा आदेश जारी कर सीधी जिले में रबी कृषि कार्य हेतु उर्वरकों की उपलब्धता एवं कृषकों को सुचारू रूप से वितरण को दृष्टिगत रखते हुए उर्वरकों के विक्रय की संभावित अनियमितता एवं कालाबाजारी को रोकने हेतु जिले के सभी डबल लॉक, सहकारी समितियों एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि रविवार को छोड़कर प्रतिदिन अनिवार्य रूप से उर्वरक का विक्रय करेंगे। यदि किसी स्थान पर कालाबाजारी, अधिक दर पर विक्रय अथवा किसान को परेशान करने की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित विक्रेता के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

उत्कृष्ट विद्यालय में बनाया गया अस्थाई कुण्ड

सीधी। शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में नगर पालिका सीधी द्वारा गणेश उत्सव के उपरांत नगर के विभिन्न स्थानों में स्थापित किए गए गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन करने के लिए नदियों के जल को प्रदूषित होने से बचाव हेतु नगर वासियों की सुविधा के लिए मूर्तियों के विसर्जन हेतु एक अस्थाई कुण्ड का निर्माण उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में कराया गया है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रीमती मिनी अग्रवाल द्वारा साथ ही नगरवासियों से अपील की गई है कि नगर के समस्त नगरवासी उत्कृष्ट विद्यालय में ही अपने-अपने घरों में स्थापित किए गए गणेश प्रतिमा को विसर्जन हेतु अवश्य लाएं।

तहसील न्यायालय चुरहट में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर आयोजित

नवभारत न्यूज
सीधी 4 सितम्बर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयाग लाल दिनकर एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी मुकेश कुमार शिवहरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनू जैन तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी सीधी मनीष कौशिक द्वारा आज 4 सितम्बर को तहसील न्यायालय चुरहट का निरीक्षण कर विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी मुकेश कुमार शिवहरे ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक निःशुल्क विधिक सहायता पहुंचाना है, ताकि कोई भी गरीब, वंचित या असहाय व्यक्ति न्याय से वंचित न रह सकें। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि न्यायालय द्वारा समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है जिसमें लंबित एवं आपसी समझौते योग्य प्रकरणों का त्वरित एवं सरल निराकरण संभव है। इस अवसर पर आगामी 13 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण पर विस्तृत चर्चा की गई। उक्त शिविर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयाग लाल दिनकर एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी मुकेश कुमार शिवहरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनू जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति चुरहट लालता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री विजया विश्वकर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल त्रिपाठी, जिला विधिक सहायता अधिकारी मनीष कौशिक, तहसील न्यायालय चुरहट के अधिवक्तागण, न्यायालयीन कर्मचारीगण एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

डॉ .विक्रम सिंह बने क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति सदस्य

नवभारत न्यूज
सीधी 4 सितम्बर। डॉ.विक्रम सिंह को क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (पश्चिम मध्य रेल) का सदस्य नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति सीधी सांसद डॉ.राजेश मिश्रा की अनुसंशा पर रेलवे विभाग की विशेष रुचि पर की गई है। इस क्षेत्र के अंतर्गत जबलपुर रेल मंडल, भोपाल रेल मंडल और कोटा रेल मंडल आता है।

बताते चलें कि जेडआरयूसीसी (क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति) के सदस्य रेलवे उपयोगकर्ताओं की समस्याओं और सुझावों को रेलवे अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। जिससे रेलवे द्वारा बेहतर सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। उनकी मुख्य भूमिकाएं रेलवे सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए विचार-विमर्श करना, रेल उपयोगकर्ताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए सुझाव देना और रेलवे के विकास में सक्रिय भूमिका निभाना है। इस समिति की साल में कम से कम 3 बैठक अनिवार्य है। डॉ.विक्रम सिंह चौहान की इस नियुक्ति पर उनके शुभचिंतकों में हर्ष है। उन्हें बधाई देने वालों में प्रमुख रूप से डॉ.अनूप मिश्रा, प्रमोद द्विवेदी, धर्मेन्द्र सिंह परिहार, डॉ.देवेन्द्र त्रिपाठी, लोरिक यादव, मनीला सिंह, रविचंद्र सिंह, पंकज पाण्डेय, नीरज कुंदेर, अमर सिंह कल्लू, अभय सिंह, अखिल सिंह, अजीत सिंह, डॉ.मनोज सिंह, डॉ.मनोज मिश्रा, तुषार द्विवेदी, अनुराग त्रिपाठी आदि प्रमुख हैं।

प्रधानमंत्री ने जीएसटी दरों में बदलाव कर देशवासियों को प्रदान की बहुत बड़ी राहत : डॉ .राजेश

लोकसभा सांसद डॉ .राजेश मिश्रा ने जताया प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार

नवभारत न्यूज
सीधी 4 सितम्बर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने को साकार करते हुए केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जीएसटी के केवल दो स्लैब 5 प्रतिशत एवं 18 प्रतिशत करने की घोषणा की है। जीएसटी इसलिए में बदलाव का स्वागत करते हुए लोकसभा सांसद डॉ.राजेन्द्र मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लोकसभा सूची क्षेत्र की जनता जनार्दन की ओर से अभिनंदन और स्वागत किया है। विशेष रूप से आम आदमी और मध्य वर्गी को विशेष लाभ होगा।

सांसद डॉ.राजेश मिश्र ने कहा कि वर्तमान में भारत के अमेरिका से रिश्ते बेहद संवेदनशील स्थिति में हैं जो कि अमेरिका के द्वारा 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की वजह से और गंभीर हुए हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में भी केन्द्र सरकार के द्वारा जीएसटी दर को सीमित किया जाना भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सागर जैसे विशाल ह्रदय को दिखलाता है। अमेरिकी टैरिफ की वजह से जिस परिस्थिति से भारत गुजर रहा है उस स्थिति में दुनियां का अन्य कोई देश पस्त हो जाता और उसकी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाती, मजबूरन उस देश को अमेरिका के सामने घुटने टेकने पड़ते। लेकिन मोदी जी के साहस, पराक्रम और दूरदर्शिता की वजह से भारत अमेरिका के सामने झुका नहीं और पूर्ण साहस के साथ जीएसटी दरों में बदलाव कर देशवासियों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। सांसद ने कहा कि 22 सितम्बर से नई दरें लागू होंगी। जिसकी वजह से गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों की बुनियादी वस्तुओं की आवश्यकता पूरी करने के लिए देशवासियों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। खाद्यान्न, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ऑटोमोबाइल सहित विलासिता के सामान को छोड़ तकरीबन हर उपयोगी वस्तु की कीमतों में भारी गिरावट आएगी।

जिसका फायदा देश के हर गरीब, मजदूर एवं मध्यमवर्गीय परिवार को होगा।

सांसद डॉ.राजेश मिश्र ने कहा कि जीएसटी के ढांचे में जो बदलाव हुआ है उसका लाभ किसी न किसी रूप में समाज के हर वर्ग को मिलने वाला है। इसमें जहां 12 फीसदी और 28 प्रतिशत वाले टेक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया है, वहीं 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत वाले स्लैब में इन वस्तुओं को रखने से निश्चित रूप से आवश्यक वस्तुओं के दामों में कमी आएगी। 40 प्रतिशत का स्लैब नशा के विरूद्ध सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है इससे नशे की रोकथाम में मदद मिलेगी। हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी शून्य करने का कदम ऐतिहासिक है इससे आम आदमी भी स्वास्थ्य बीमा करा कर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकेगा। साथ ही पनीर, छेना, टेट्रापैक दूध, रोटी, चपाती, पराठा, खाकरा जैसी आम लोगों से जुड़ी खाद्य वस्तुओं, दुर्लभ बीमारियों और कैंसर की दवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आम आदमी के उपयोग की कई वस्तुएं जैसे हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबल वेयर, किचन वेयर, अन्य घरेलू सामान आदि पर जीएसटी 18 प्रतिशत या 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। खाद्य पदार्थों जैसे पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी आदि पर जीएसटी 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है जिसका लाभ हर परिवार को मिलेगा।

आसान होगी किसानों की राह

सांसद डॉ .राजेश मिश्र ने कहा कि नई जीएसटी दरों में किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है। कृषि उपयोगी वस्तुओं, मिट्टी तैयार करने या जुताई करने वाला ट्रैक्टर, कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनरी, कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी, जिसमें पुआल या चारा बेलर, घास काटने की मशीन, कम्पोस्ट मशीन आदि पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है जो कि स्वागतयोग्य है। सरकार के इस निर्णय से कृषि मशीनरी की कीमत कम होगी और अधिक से अधिक किसान इनका लाभ ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय न सिर्फ किसानों की राह आसान होगी बल्कि कृषि उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी।